न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2021/223 (2021/91)

1. श्रीराम पुत्र भंवरू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. धूकल पुत्र खाकी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंट

2. कमला पत्नि पोखरमल,
3. घीसाराम पुत्र पोखरमल,
4. रमेशचन्द पुत्र पोखरमल,
5. गंगा पुत्री पोखरमल,
6. मैथी पुत्री पोखरमल,
7. बिदामीदेवी पत्नि देवा,
8. रूपाराम पुत्र देवा,
9. शिवराज पुत्र देवा,
10. जाना देवी पुत्री देवा,
11. मंजू पुत्री देवा,
12. सोहनी पुत्री देवा,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 6.10.2020 अंतर्गत वाद संख्या 26/2020 .</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 12 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 8.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजियात खाता संख्या 878 नया पुराना 263 के खसरा नंबर 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 कुल किता 12 कुल रकबा 5.4500 है0 भूमि वादीगण एवं

प्रतिवदीगण संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जो ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन में अवस्थित है । विवादित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा है । अतः वाद में वर्णितानुसार वाद डिक्री किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर काउन्टर क्लेम पेश किया । अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.10.2020 को पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद 52 वर्ष बाद पेश किया था तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 उक्त बंटवारे के वाद की आड़ में अपीलांट के कब्जे की आराजियात खसरा संख्या 2519 व 2520 में उक्त राजस्व वाद के माध्यम से दखलदांजी कर रहा है । वादी प्रतिवादीगएण संख्या 1 से 12 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 2519 व 2520 में से जबरन रास्ते की इस्तदुआ उक्त राजस्व वाद के माध्यम से चाह रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया था किन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त नियमों एवं कानून को ताक में रखकर रेस्पो0 संख्या 1/वादी को लाभ देने की गरज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने स्पष्ट किया था कि वादी का खसरा नंबर 2521, 2533, 2534 व 2535 पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा वादी द्वारा भी अपने उक्त राजस्व वाद के माध्यम से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा चाहा गया था । ऐसी स्थिति में वादी का उक्त राजस्व वाद विरोधाभाषी कथनों पर आधारित था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर वाद डिक्री किया है । अपीलांट ने अपने जवाब में यह भी कथन किया था कि खसरा नंबर 2518 रकबा 0.06 है0 चाह के रूप में दर्ज है तथा उक्त खसरे पर वादी द्वारा अपना रहवासी मकान बना रहा है जो राज0काश्त0अधि0 के सिद्धांतों के विपरीत है । उक्त आराजी पर वादी द्वारा मकान भी बना लिया गया है इसलिये उक्त निर्माण को ध्वस्त करने के बाद ही विवादित आराजियात का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाना न्यायोचित है । इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने बंटवारा का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 को वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर वाद को बाद साक्ष्य एवं सुनवाई के निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना तनकियात कायम किये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष काउन्टर क्लेम भी पेश किया था जिस बाबत् अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 2518 रकबा 0.08 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह पर जाने के लिए आपसी सहमति से खसरा नंबर 2535, 2530, 2534, 2539, 2533, 2532, 2521 व 2522 के मध्य आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता छोडने हेतु प्रार्थना की थी परन्तु अधी0न्याया0 ने समस्त कथनों को अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 को पत्रावली को जवाब काउन्टर क्लेम हेतु रखनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर समस्त विधिक प्रकिया के विरूद्ध उक्त पत्रावली पर रेस्पो0 संख्या 1 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 को अनावश्यक रूप से पाबंद करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः

अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अभी हाल ही में दिनांक 8.2.2021 को जब प्रार्थी अपने अधी0न्याया0 में नियुक्त अधिवक्ता से मिला तो बताया कि दिनांक 6.10. 2020 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री को चुनौती देनी होगी । जिस पर प्रार्थी ने उक्त आदेश की नकलें प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है । अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित आराजियात के विधिक विभाजन के आदेश पारित कर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार से मंगाने के निर्देश दिये है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये है कि सभी खातेदारों के सभी खसरों तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे । यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति हो तो वे अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करते समय पेश कर सकते है । अपीलांट के हिस्से में भूमि कम रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करन उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मे विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुणा पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन हेतु वाद पेश किया है । प्रतिवादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि वादी ने खसरा संख्य 2518 रकबा 0.06 चाह पर रहवासी मकान बना रखा है जिसे ध्वस्त करने के उपरांत ही विवादित आराजियात का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाना न्यायोचित है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 6.10.2020 को पारित कर राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये है । जहां तक चाह खसरा नंबर 2518 का प्रश्न है उक्त चाह कानूनन सभी सहखातेदारों की खातेदारी में रखा जावेगा । खसरा नंबर 2518 गै0मु0 चाह बाबत् अपीलांटस को कोई आपत्ति है तो वे अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करते समय इस संबंध में ऐतराज पेश कर सकते है। हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट हिस्से में रकबा की कमी के संबंध में कोई उज्र नहीं उठाया है। प्राथमिक डिक्री में पक्षकारों के हिस्से निर्धारित किये जाते है यदि प्राथमिक डिक्री में किसी पक्षकार का हिस्सा कम–ज्यादा किया जाता है तो ही प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी जा सकती है । विद्वान अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनिमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त

विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वाद संख्या 26/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.10.2020 यथावत् रखी जाती है ।

(सचना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(सचना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

श्रीराम पुत्र भंवरू जाति कुमावत निवासी ग्राम पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।

बनाम

धूकल पुत्र खाकी जाति कुमावत निवासी ग्राम पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर व अन्य ।

— — —

अपील संख्या 91/2021 (2021/91) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी,पीसांगन मुबर्खे 06 माह 10 सन् 2020, प्रकरण संख्या 26/2020,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 08 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री महेन्द्र सिंह चौहान वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री मदनपुरी गोस्वामी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 13 (राजकीय अभिभाषक) समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः– **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वाद संख्या 26/2020 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2020 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक——×—— रूपये——×——. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का——×—— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 08 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर (राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	—	1.स्टाम्प वकालतनामा	—
2.स्टाम्प वकालतनामा	—	2.स्टाम्प अर्जी	—
3.इजराय हुक्मनामा	—	3.इजराय हुक्मनामा	—
4.वकील फीस बाबत्	—	4.महनताना वकील	—
मीजान	—	मीजान	—

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।